कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सुनिता सुथार, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, बिवाई, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि, लासोडिया–सज्जनगढ, बांसवाडा किया गया। सुनिता सुथार ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–3396/2019 सुनिता सुथार बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या–3396/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक–01.11.19 द्वारा अपीलार्थी सुनिता सुथार को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुनिता सुथार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा महिला होने एवं निवास स्थान जयपुर शहर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, कालाखोह, दौसा की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में सुनिता सुथार, व्याख्याता (हिन्दी) के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राउमावि, कालाखोह, दौसा में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./सुनिता सुथार/3396/2019/9 दिनांक–06/11/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर